2021/142

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री कान्तिलाल उपाध्याय<br>जाति उपाध्याय<br>निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर<br>तहसील आबूरोड जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही |

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 54 वर्ष 2021

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.08.2021 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 17.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.07.2020 को श्री गणेश जोशी(लोकसेवक) वर्तमान उपसरपंच ग्राम पंचायत सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध पदीय आचरण बाबत तीन बिन्दुओं में निष्पक्ष जांच हेतु जिला कलक्टर सिरोही को परिवाद प्रेषित करने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त परिवाद की जांच श्री नटवरलाल सहायक विकास अधिकारी कलक्टर कार्यालय सिरोही द्वारा करवाई गई। उक्त जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं ।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 17.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.07.2020 को श्री गणेश जोशी(लोकसेवक) वर्तमान उपसरपंच ग्राम पंचायत सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही के विरूद्ध पदीय आचरण बाबत तीन बिन्दुओं में निष्पक्ष जांच हेतु जिला कलक्टर सिरोही को परिवाद प्रेषित करने पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त परिवाद की जांच श्री नटवरलाल सहायक विकास अधिकारी कलक्टर कार्यालय सिरोही द्वारा करवाई गई। उक्त जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।<br><br>(भगवती प्रसाद)<br>जिला कलक्टर, सिरोही | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner